



2026:AHC:50184

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9202 वर्ष 2026

शक्र अली

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जगदीश सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
1. यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह विभाजन आवेदन/वाद संख्या 2686 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या टी-202505200102686 (शक्र अली बनाम राबड़ी देवी और अन्य) का निर्णय एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे, जिसे वर्ष 2025 में दायर किया गया था।
2. इस मामले को देखते हुए, मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
3. तथापि, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा न्यायहित में, प्रतिवादी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी, सदर तहसील देवरिया, जनपद देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त वाद का यथाशीघ्र निस्तारण करें, परंतु जब तक कोई विधिक बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।